

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(मुख्यालय प्रशासन अनुभाग)

पत्रांक-मु.प्र.(I)/1509 / नं० अ०-13 / 2019-20 / लखनऊ : दिनांक-

09/09/2019
अगस्त, 2019

1. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र०।
2. समस्त उप कृषि निदेशक (आहरण एवं वितरण अधिकारी) कृषि विभाग, उ०प्र०।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि रक्षा एवं शोध, कृषि विभाग, उ०प्र०।
4. उप कृषि निदेशक, ऊसर, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. वरिष्ठ सम्प्रेक्षाधिकारी, सम्प्रेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कीटनाशी/उर्वरक विश्लेषक, उर्वरक एवं कीटनाशी, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लखनऊ।
7. उर्वरक विश्लेषक/कीटनाशी विश्लेषक, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण/कल्चर, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सहायक निदेशक (नियोजन जूट अनुभाग), कृषि भवन, लखनऊ।
11. लेखाकार, मुख्यालय, मु०प्र० लेखा अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

कृपया वित्त आय-व्ययक अनुभाग-3, उ०प्र० शासन सचिवालय लखनऊ के पत्र संख्या-बी-3-765/दस-2019-20(10)/2008 दिनांक 09.08.2019 में राज्य कर्मचारियों को जिन्हे भवन निर्माण/भवन मरम्मत/विस्तार /अग्रिम व्यक्तिगत कम्प्यूटर/मोटर वाहन अग्रिम मदों में स्वीकृत किये गये अग्रिम के वसूली के आकड़ों का कार्यालय महालेखाकार के लेखांकित आकड़ों से मिलान कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। स्वीकृत विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक) के आकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखांकित आकड़ों से दिनांक 13-08-2019 से 18.09.2019 तक की निर्धारित अवधि में ही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिन नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उनका दायित्व स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आकड़े अंतिम समझे जायेगे।

अतः प्रकरण में आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त स्वीकृत अग्रिमों के विरुद्ध ऋण की वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ त्रैमास की वसूली के आँकड़ों का मिलान निर्धारित अवधि के अन्तर्गत महालेखाकार कार्यालय में लेखांकित आकड़ों से यथाशीघ्र मिलान कराने का कष्ट करें।

(डी०पी० सिंह)
उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)
कृते कृषि निदेशक, उ०प्र०।

पत्रांक-मु.प्र.(I)/ / 2019-20 / लखनऊ : दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, वित्त आय-व्ययक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या- बी-3-765/दस-2019-20(10)/2008 दिनांक 09.08.2019 के अनुपालन में।
2. वित्त नियंत्रक, आय-व्ययक अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि राज्य प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एवं फसल बीमा कृषि भवन लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
5. समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को उक्त स्वीकृत अग्रिमों के विरुद्ध कटौतियों का मिलान निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने हेतु।
6. महालेखाकार, प्रथम, कृषि संकलन-1 अनुभाग, कार्यालय-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

(डी०पी० सिंह)
उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)
कृते कृषि निदेशक, उ०प्र०।